



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052026-272241
CG-DL-E-06052026-272241

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2111]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 2026/वैशाख 14, 1948

No. 2111]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 2026/VAISAKHA 14, 1948

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2026

का.आ. 2198(अ).— जबकि मेसर्स अदाणी पावर लिमिटेड (एपीएल), जिसका पंजीकृत कार्यालय अदानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, एस- जी- हाईवे, अहमदाबाद – 382421, गुजरात, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना “रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना की (चरण-II: 2×800 मेगावाट) की प्रथम इकाई (800 मेगावाट) के अंतर्गत मैसर्स एपीएल को अस्थायी कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली ” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/114/2025-PG दिनांक 10.12.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना “रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना की (चरण-II: 2×800 मेगावाट) की प्रथम इकाई (800 मेगावाट) के अंतर्गत मैसर्स एपीएल को अस्थायी कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स अदाणी पावर लिमिटेड (एपीएल), ने स्थानीय समाचार पत्रों सेंट्रल क्रॉनिकल, द टाइम्स ऑफ़ इंडिया (अंग्रेजी) दिनांक 26.12.2025, हरिभूमि, केलोप्रवाह (हिन्दी) दिनांक 26.12.2025 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 17.01.2026 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम

जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स अदाणी पावर लिमिटेड (एपीएल) ने एक हलफनामा दिनांक 07.04.2026, प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना की (चरण-II: 2×800 मेगावाट) की प्रथम इकाई (800 मेगावाट) के अंतर्गत मेसर्स एपीएल को अस्थायी कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारिषण प्रणाली" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

- एपीएल रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना (चरण-II) से रायपुर के लिलो प्वाइंट तक 400 केवी डी/सी लाइन (पीजीसीआईएल) – रायगढ़ (पीजीसीआईएल) 400 केवी लाइन (सर्किट-3) (गाँव दुलोपुर, तहसील रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ में स्थित), कुल लाइन लंबाई लगभग 13 किलोमीटर।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्र. सं.	गाँव के नाम	तहसील	ज़िला
1	पलसदा	बलोदा	जांजगीर-चांपा
2	अमलडीहा, अमलीभौना, अम्लीभौना, बड़ेभंडार, बोंदा, बुनगा, छोटेभंडार, धनगांव, गोर्दा, जतरी, जटरी, जेवरीडीह, जेओरीडीह, कठली, कथली, पचेडा, पुटकापुरी, रनभांठा, रनभाटा, रावनखोन्द, रावन खोंद्रा, रावनखोंद्रा, रूचिदा, सरवानी, सेमीभांवर, सेमरा, सेमरा, सूपा, टपरदा, तपरदा, टेका, ठेंगागुड़ी, ठेंगागुरी, तोरना, नावापारा, कौआताल, कांवताल, घुघवा, घुघुआ, अमलीपाली, अम्लिपाली, कोअनुवाताल, बरपाली, ठाकुरपाली, ठगवा	पुसौर	रायगढ़
3	साल्हेपाली, बरदापुटी, भातपुर, दुलोपुर, नवरंगपुर, तारापुर, ठाकुरपाली, बसन्तपुर, बोकरामुड, बोकरामुण्डा	रायगढ़	

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स अदाणी पावर लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- vi. मेसर्स अदाणी पावर लिमिटेड (एपीएल) को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/40/2026-पावर ग्रिड (एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2026

S.O. 2198(E).— Whereas M/s Adani Power Limited (APL), the applicant with its registered office at Adani Corporate House, Shantigram, Near Vaishnodevi Circle, S.G. Highway Khodiyar, Ahmedabad-382421, Gujarat, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme “Transmission System for providing interim connectivity to M/s APL for 1st unit (800MW) of Raigarh Thermal Power Projects (Phase-II: 2x800 MW)”.

And whereas, Central Electricity Authority (CEA), Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/114/2025-PG dated 10th Dec, 2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme “Transmission System for providing interim connectivity to M/s APL for 1st unit (800MW) of Raigarh Thermal Power Projects (Phase-II: 2x800 MW)”.

M/s Adani Power Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Central Chronicle, The Times of India (in English) dated 26th Dec, 2025 and Haribhoomi, Kelopravah (Hindi) dated 26th Dec, 2025 and Weekly Gazette of India dated 17th Jan, 2026 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Adani Power Limited has submitted an affidavit dated 07th Apr, 2026 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India and newspaper publications.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission System for providing interim connectivity to M/s APL for 1st unit (800MW) of Raigarh Thermal Power Projects (Phase-II: 2x800 MW)”. The following overhead line is covered under this scheme:

- 400kV D/c line from APL Raigarh TPP (Phase-II) to LILO Point of Raipur (PG) – Raigarh (PG) 400kV line (ckt-3) (situated in Village Dulopur, Tehsil Raigarh, District Raigarh, Chhattisgarh) of total line length about 13 km.

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Chhattisgarh:

Sr. No.	Villages	Tehsil	District
1.	Palsada	Baloda	Janjgir-Champa
2.	Amaldiha, Amalibhauna, Amlibhauna, BadeBhandar, Bonda, Bunga, ChhoteBhandar, Dhangaon, Gorra, Jatari, Jatri, Jewaridih, Jeoridih, Kathali, Kathli, Pacheda, Putkapuri, Ranbhatha, Ranbhata, Rawankhond, Rawan Khondra, Rawankhondra, Ruchida, Sarwani, Semibhanwar, Semara, Semra, Supa, Taparada, Taparda, Teka, Thengagudi, Thengaguri, Torna, Nawapara, Kauwatal, Kanwatal, Ghughawa, Ghughua, Amalipali, Amlipali, Koanuwatal, Barpali, Thakurpali, Thagwa	Pussour	Raigarh
3.	Salhepali, Bardaputi, Bhatpur, Dulopur, Naurangpur, Tarapur, Thakurpali, Basantpur, Bokramund, Bokramunda	Raigarh	

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Adani Power Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Adani Power Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/40/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)